भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 119

21.07.2025 को उत्तर के लिए

कोयला खनन के लिए पट्टे पर दी गई वन भूमि का अन्यत्र उपयोग

119. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनियों के साथ-साथ निजी कंपनियों को कोयला खनन के लिए वन भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कंपनियों विशेषकर, हजारीबाग पकरी बरवाडीह कोयला खदानों और हिल टॉप निजी कंपनी, संजय उद्योग, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में आर. के. माइंस और झारखंड राज्य में अन्य कोयला खदानों द्वारा वन भूमि में किए गए अवैध खनन या नदी या प्राकृतिक जल संसाधनों के अन्यत्र उपयोग में शामिल होने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चूककर्ताओं और उल्लंघनकर्ता कंपनियों/मंडल विकास अधिकारी (एमडीओ) के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई कानूनी मामला हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) 'भूमि' राज्य का विषय है। वन क्षेत्र और उसकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तदनुसार, किसी भी गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने या आवंटित करने का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, किसी भी वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

झारखंड राज्य में 2591.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (1) (ii) के तहत दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/03/2025 के दौरान खनन श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अवैध खनन सहित विभिन्न खतरों से वनों की सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की है। संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई करते हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के उल्लंघन, जिनमें पकरी बरवाडीह कोयला खदानें भी शामिल हैं, का सामना प्रचलित कानूनों के उपबंधों और इसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, जहां तक संबंधित खदान से संबंधित कानूनी मामलों का संबंध है, माननीय न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित सरकार द्वारा मौजूदा अधिनियमों/नियमों/ दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाता है।

*****